

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 523/2024

अनवान : -

1. गुरतेज सिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख निवासी फताकेरा तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: - 21/10/2024


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि में से 17049/108656 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी की जाति जाट की जगह जटसिख व सकूनात फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब के स्थान पर हनुमानगढ़ दर्ज है। जो की सहवन से गलत दर्ज हुई है। वादी की सही जाति व सकूनात जटसिख व फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब है। राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति व सकूनात गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की पेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी अपनी जाति व सकूनात सही करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।


बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादी की जाति जाट की जगह जटसिख व सकूनात फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब के स्थान पर हनुमानगढ़ दर्ज है। जो की सहवन से गलत दर्ज हुई है। वादी की सही जाति व सकूनात जटसिख व फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब है। राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति व सकूनात गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की पेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी की जाति जाट के स्थान पर जटसिख व सकूनात सतीपुरा तह0 हनुमानगढ़ के स्थान पर फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब सही दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने के आदेश फरमावें।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि में से 17049/108656 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वाद अपनी जाति जाट के स्थान पर जटसिख व सकूनात सतीपुरा तह० हनुमानगढ़ के स्थान पर फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब दर्ज करवाना चाहता है। वादी के समस्त दस्तावेजात में जाति जटसिख व सकूनात फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब दर्ज है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि में से 17049/108656 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी की जाति जाट के स्थान पर जटसिख व सकूनात सतीपुरा तह० हनुमानगढ़ के स्थान पर फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी की जाति जाट व सकूनात सीतापुरा तह० हनुमानगढ़ के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी की जाति जाट व पता सीतापुरा तह० हनुमानगढ़ ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 523/2024

अनवान : -

1. गुरतेज सिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख निवासी फताकेरा तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 523 सन 2024 निर्णय दिनांक - 21/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि में से 17049/108656 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी की जाति जाट कि स्थान पर जटसिख व सकूनात सतीपुरा तह० हनुमानगढ़ के स्थान पर फतकेरा उप तहसील लम्बी जिला मुक्तसर पंजाब के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी की जाति जाट व सकूनात सीतापुरा तह० हनुमानगढ़ के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी की जाति जाट व पता सीतापुरा तह० हनुमानगढ़ ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

av.
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर